

1

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 278/2011 ई0फौ0

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 278/2011

संस्थापित दिनांक 12/05/2011

फाइलिंग नं. 230303003632011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. हरीश पुत्र मथुरा प्रसाद दुबे उम्र 31 वर्ष
निवासी ग्राम बरौली थाना मौ, जिला भिण्ड म0प्र0।

..... अभियुक्त

.....
(अपराध अंतर्गत धारा- 294, 506 भाग-2 भा0दं0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ- श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपी द्वारा अधिवक्ता-श्री महेश श्रीवास्तव)

.....
::-- निर्णय --::

(आज दिनांक 26.05.2017 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 05.04.11 को सुबह करीबन आठ बजे हैंडपंप के पास ग्राम बरौली में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी नेकीराम को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने का आरोप है एवं उसी समय फरियादी नेकीराम को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 294 एवं 506 भाग 2 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 05.04.11 को फरियादी नेकीराम अपने खेत से घर आ रहा था। हैंडपंप के पास आरोपी हरीश उसके सामने आ गया वह बगल से हो गया था तो आरोपी हरीश ने उसे मां बहन की गाली दी थी एवं उसे मारने के लिए उसे गिरेबान पकड़ लिया था और उसे धक्का देने लगा था। वह किसी प्रकार संभला था तो आरोपी हरीश ने कमर से कट्टा निकालकर उसकी छाती में लगा दिया था एवं उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उसने कट्टे का ट्रेगर दबाया था, चट की आवाज आई थी कट्टा चला नहीं था

यदि चल जाता तो उसकी मौत निश्चित थी। आरोपी एवं उसके भाई रामशंकर, उमाशंकर, राजबहादुर उसे परेशान करते रहते हैं। उसका रास्ता रोकते हैं। खलिहान रोकते हैं मजदूरों को काम पर नहीं जाने देते हैं। उक्त चारों भाई उसके सुखाचार में बाधक हैं एवं उसे जान से मरवा सकते हैं तथा उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फरियादी नेकीराम द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी मौ को लेखीय आवेदन दिया था उक्त आवेदन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना मौ में अप0क्र0 56/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपी को आरोपित आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 05.04.11 को सुबह करीबन आठ बजे हँडपंप के पास ग्राम बरौली में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी नेकीराम को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

2. क्या आरोपीग ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी नेकीराम को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभिवास कारित किया?

4. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी हरीशचन्द्र पुत्र सुदामाप्रसाद अ0सा01 एवं विजय शंकर अ0सा02 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

5. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी हरीशचन्द्र अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसका कोई कथन नहीं लिया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी हरीश ने फरियादी नेकीराम को गाली गलौंच किया था एवं उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त साक्षी ने प्र0पी01 का पुलिस कथन भी पुलिस को न देना बताया है।

7. साक्षी विजयशंकर अ0सा02 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि फरियादी नेकीराम उसके चाचा हैं उसे जानकारी नहीं है कि वर्तमान में नेकीराम कहां रहते हैं। उसकी नेकीराम से लगभग पांच साल से मुलाकात नहीं हुई है उसे जानकारी नहीं है कि नेकीराम कहां चले गए हैं। उसे घटना की जानकारी नहीं है उसके सामने कुछ नहीं हुआ था हरीश ने नेकीराम को गाली गलौच नहीं किया था नेकीराम शिकायती किस्म के व्यक्ति थे वह बड़ा चढ़ाकर झूठी रिपोर्ट करते रहते थे।

8. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी नेकीराम का कोई पता नहीं चला है शेष साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

9. यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में अथक प्रयासों के बावजूद भी फरियादी नेकीराम के अदम पता हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा फरियादी नेकीराम को परीक्षित नहीं कराया जा सका है। शेष साक्षी हरीशचन्द्र अ0सा01 एवं विजयशंकर दुबे अ0सा02 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। साक्षी हरीशचन्द्र अ0सा01 को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

10. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी नेकीराम के अदम पता हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा फरियादी नेकीराम को परीक्षित नहीं कराया जा सका है। शेष साक्षी हरीशचन्द्र अ0सा01 एवं विजयशंकर अ0सा02 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी नेकीराम को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था एवं नेकीराम को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभिप्रास कारित किया था। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

11. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 05.04.11 को सुबह करीबन आठ बजे हेंडपंप के पास ग्राम बरौली में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी नेकीराम को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं उसी समय फरियादी नेकीराम को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभिप्रास कारित किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी हरीश को भा0दं0सं0 की धारा 294 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

13. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते है।
14. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 26-05-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)